## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE LOK SABHA

# UN-STARRED QUESTION NO: 1591 TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4<sup>TH</sup> MARCH, 2016 14, PHALGUNA, 1937 (SAKA)

#### NON-FILERS MANAGEMENT SYSTEM

1591. SHRI SUDHEER GUPTA:
SHRI KUNWAR HARIBANSH SINGH:
DR. SUNIL BALIRAM GAIKWAD:
SHRI GAJANAN KIRTIKAR:
DR. J. JAYAVARDHAN:
SHRI BIDYUT BARAN MAHATO:
SHRI S.R. VIJAYAKUMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) Whether the Government has launched a drive to identify the individuals who have either forgetten or just skipped to filing their returns for the year 2014-15 through Non-filers Management System;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) the number of tax payers who have filed their IT returns after launching of this drive;
- (d) the quantum of revenue received by the tax department under this drive; and
- (e) whether any action has been taken against these tax payers and if so, the details thereof?

#### **ANSWER**

# MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA)

- (a)&(b) Yes madam, The Non-filers Monitoring System (NMS) Cycle 4 has been implemented as a pilot project to identify and prioritise non-filers for the assessment year 2014-15 with potential tax liabilities. Data analysis is carried out to identify non-filers about whom specific information is available in Annual Information Return (AIR), Central Information Bureau (CIB) data, Tax deduction /Collection at source Statements (TDS/TCS) and other information sources.
- (c) The number of taxpayers covered under NMS Cycle 4, who have filed their Income tax Return is 11,96,271.
- (d) The amount of self assessment tax received from the taxpayers covered under NMS Cycle 4 since the date of its launch i.e.  $21^{st}$  October, 2015 is 487.89 cr.
- (e) E-mails and letters are being sent to the taxpayers covered under NMS Cycle-4. The cases selected under NMS Cycle 4 have been made available to the jurisdictional Assessing Officers to take appropriate action, based on the response submitted by the taxpayers.

-----

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

#### लोक सभा

#### अतारांकित प्रश्न सं. 1591

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 मार्च, 2016/ 14 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाना है)

### नॉन-फाइलर मैनेजमेंट सिस्टम

1591. श्री स्धीर ग्प्ता:

क्ँवर हरिवंश सिंह:

डॉ॰ स्नील बलीराम गायकवाइ:

श्री गजानन कीर्तिकर:

डॉ॰ जे॰ जयवर्धन:

श्री विद्युत वरण महतो:

श्री एस॰ आर॰ विजय कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उन लोगों की पहचान करने हेतु कोई अभियान चलाया है जिन्होंने नॉन-फाइलर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से 2014-15 के दौरान विवरणी दाखिल करना भूल गए हैं या दाखिल नहीं की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन करदाताओं की संख्या कितनी है जिन्होंने अभियान के शुरू होने के पश्चात् अपनी आयकर विवरणी दाखिल की है;
- (घ) कर विभाग द्वारा इस अभियान के अन्तर्गत कितना राजस्व प्राप्त किया गया है; और
- (ङ) क्या इन करदाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

#### <u>उत्तर</u>

## वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

- (क) एवं (ख) जी, हाँ। नान फाइलर मॉनीटरिंग सिस्टम (एन एम एस) साइकल IV को पायलट प्रोजैक्ट के रूप में लागू किया गया है जिसका उद्देश्य उन लोगों का पता लगाना और उन लोगों की प्राथमिकता निर्धारित करना है जिन पर आकलन वर्ष 2014-15 में कर की एक बड़ी राशि देय थी लेकिन उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है। आंकड़ों का विश्लेषण करके उन लोगों का पता लगाया जाता है जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है और उनके बारे में एनुअल इनफारमेंशन रिटर्न, केन्द्रीय सूचना ब्यूरो के आंकड़ों, स्रोत पर कर कटौती/संग्रहण विवरण (टीडीएस/टीसीएस) और अन्य स्रोतों से विशेष जानकारी उपलब्ध है।
- (ग) एन एम एस साइकल 4 के अन्तर्गत आने वाले करदाता जिन्होंने अपनी आयकर विवरणी फाइल की है, की संख्या 11,96,271 है।
- (घ) एन एम एस साइकल 4 के अन्तर्गत आने वाले करदाताओं से प्राप्त स्वनिर्धारण कर की राशि इसके प्रारंभ होने की तारीख से अर्थात् 21 अक्टूबर, 2015 से 487.89 करोड़ है।
- (ङ) एन एम एस साइकल 4 के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को ई-मेल एवं पत्र भेजे जा रहे हैं। एन एम एस साइकल 4 के अंतर्गत चयनित मामले न्यायनिर्णयन निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं ताकि करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर उचित कार्रवाई की जा सके।

\*\*\*\*\*